

समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग



जनपद — गौतमबुद्धनगर

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, ।


Integrated Child Development Services

टेक होम राशन आंगनवाडी केन्द्रों पर टेक होम राशन
(माह की 5, 15 व 25 तारीख को)




- आंगनवाडी केन्द्रों पर टेक होम राशन (माह की 5, 15 व 25 तारीख को), मॉनिंग स्नैक/ हाट कुक्कू माह में कम से कम 21 दिन प्राप्त होने की समीक्षा करना-
- 07 माह से 03 वर्ष के बच्चों को सामान्य श्रेणी में 120 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा (उपैकेट प्रति बच्चा प्रति माह) एवं कुपोषित एवं अतिकुपोषित श्रेणी में 200 ग्राम प्रतिदिन प्रति बच्चा (5पैकेट प्रति बच्चा प्रति माह) पोषाहार के रूप में प्रति को वितरण किया जाता है।
- झ - 03 किशोरियों/गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को 140 ग्राम प्रतिदिन प्रति लाभार्थी वितरण किया जाता है।
- 03 से 06 वर्ष के बच्चों केन्द्र पर आते हैं उनको मॉनिंग स्नैक्स के रूप में 50 ग्राम पोषाहार प्रतिदिन एवं कुपोषित एवं अतिकुपोषित श्रेणी में 75 ग्राम पोषाहार प्रतिदिन दिया जाता है और साथ में हाट कुक्कू (गर्म खाना) दिया जाता है।

स्वास्थ्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम




**VHND (Wednesday & Saturday of every month)
ON ANGANBADI CENTRE**



- रोगों को निवारण, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 06 वर्ष तक के बच्चों को डी0पी0टी0, पोलियो, बी0सी0जी0 के टीके लगाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कराना।
- रोगों के निवारण, स्वास्थ्य प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा/ ए0एन0एम0 के साथ समन्वय रखा जाता है तथा जनपद स्तर पर प्रतिरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ प्रतिमाह बैठक करके कार्यक्रमों की संयुक्त समीक्षा की जाती है।

**door to door campaign on
POLIO AWARENESS**



**(ECCE DAY) Early Childhood
Care and Education Scheme**



**स्कूल पूर्व शिक्षा
(PSE)**



- स्कूल पूर्व शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्राइमरी शिक्षा के लिए प्रेरित करना एवं सर्व शिक्षा अभियान का सहयोग प्राप्त करना -स्कूल पूर्व शिक्षा के माध्यम से केन्द्रों पर बच्चों को शिक्षित करने के साथ उनके अभिवावकों को प्राइमरी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है तथा बच्चों का पंजीकरण प्राइमरी स्कूल में शिक्षा विभाग के सहयोग से करा दिया जाता है।

**AADHAAR CARD enrollment
of 0-5 yr. children**



**बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह
माह जून एवं दिसम्बर**



**स्तनपान सप्ताह 1-7
अगस्त**



पोषण स्थिति की निगरानी



राज्य पोषण मिशन

- शासन की उच्च प्राथमिकताओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य पोषण मिशन की शुरुआत की गयी जिसमें जनपद स्तर पर कुपोषण दूर करने हेतु अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत निम्नवत् कार्य किया जा रहा है।
- जनपद गौतमबुद्धनगर में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद / ब्लाक स्तरीय कुल 40 अधिकारियों द्वारा ग्राम को गोद लेकर पंजीकृत अतिकुपोषित बच्चों एवं नवीन चिन्हीकरण कर अतिकुपोषित बच्चों में सुधार लाते हुए कुपोषण दूर करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जिसमें सभी अधिकारियों के द्वारा गोद ली गई ग्राम सभाओं का नियमित भ्रमण कर आख्या प्रेषित की जा रही है, और निरीक्षण आख्याएँ राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट पर प्रत्येक माह अपलोड हो रही है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) पर अवश्य लाएं जहां बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा द्वारा ठीक किया जाएगा।

NRC in District

पोषण पुनर्वास केंद्र – निःशुल्क चिकित्सा केंद्र

0 से 5 वर्ष के बच्चों का अस्पताल

सामुदायिक चिकित्सा केंद्र भंगेल, जनपद-गौतमबुद्धनगर

“कुपोषण से अपने बच्चों को बचाएं,

स्वास्थ्य –सुधार हेतु बच्चों को पोषण

–पुनर्वास केंद्र पर लाएं।

डॉक्टरों की टीम द्वारा
अतिकुपोषित बच्चों का निःशुल्क
इलाज।

भर्ती योग्य बच्चों को
निःशुल्क भर्ती करने की
सुविधा
उपलब्ध है।



बेटे की आस में बेटा की बलि मत चढ़ाईये



LAIMER

द 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के नाम पर चलाई जा रही फर्जी योजनाओं के खिलाफ चेतावनी

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संज्ञान में यह आया है कि कुछ अनाधिकृत साइटों/संगठनों/व्यक्तियों 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत नकद प्रोत्साहन के नाम पर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। इस योजना में भारत सरकार की ओर से व्यक्तिगत 'नकद हस्तांतरण घटक' के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत सामाजिक व्यवस्था में बेटियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता बदलना, पीसी और पीएनडीटी अधिनियम को सख्ती से लागू करना और बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके तहत जीवन चक्र निरंतरता के आधार पर महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कोई डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) योजना नहीं है।

यह एक अत्यंत गंभीर मसला है और अगर आपको किसी ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो कृपया इस बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन और संबंधित जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों के जाल में न फँसने की सलाह दी है। मंत्रालय ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे इस संबंध में अपने व्यक्तिगत विवरण को किसी से भी साझा न करें। इस बारे में मेरठ और मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही एकआईआर दाखिल की जा चुकी है। इस तरह का मसला लखनऊ में भी संज्ञान में आया है। उल्लेखनीय है कि इस तरह के फॉर्मों का वितरण पूरी तरह से अवैध है और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत कोई भी नकद प्रोत्साहन किसी भी रूप में जुड़ा हुआ नहीं है।

पोषण शिक्षित की निगरानी



राज्य पोषण मिशन

- शासन की उच्च प्राथमिकताओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य पोषण मिशन की शुरुआत की गयी जिसमें जनपद स्तर पर कुपोषण दूर करने हेतु अभियान चलाया गया। इसके अन्तर्गत निम्नवत् कार्य किया जा रहा है।
- जनपद गौतमबुद्धनगर में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद / ब्लॉक स्तरीय कुल 40 अधिकारियों द्वारा ग्राम को गोद लेकर पंजीकृत अतिकुपोषित बच्चों एवं नवीन विन्हीकरण कर अतिकुपोषित बच्चों में सुधार लाते हुए कुपोषण दूर करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जिसमें सभी अधिकारियों के द्वारा गोद ली गई ग्राम सभाओं का नियमित भ्रमण कर आख्या प्रेशित की जा रही है, और निरीक्षण आख्याएँ राज्य पोषण मिशन की वेबसाइट पर प्रत्येक माह अपलोड हो रही है।

बेटे की आस में बेटा की बलि मत चढ़ाईये



LAIMER

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर चलाई जा रही कर्त्तवी योजनाओं के खिलाफ चेतावनी

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन में यह आशा है कि युवा जनसंख्या के प्रति जागरूकता के माध्यम से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना को सफल बनाने में समाज के सभी सदस्यों का योगदान आवश्यक है। इस योजना में भारत सरकार की ओर से व्ययित्तिय सहायता के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अन्तर्गत महिला विकास सेक्टर में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा।